पत्रांक - 220/ ...
दिनांक - 14/11/2022

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषयः झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने के संबंध में।

राज्य में 10/12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है, को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निश्चय लिया गया है, ताकि राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र/संस्थान जैसे–Engineering, Medical, Law, Research, IITs, IIMs आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से जोड़कर 10/12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अहर्त्ता प्राप्त विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

राज्य के सकल नामांकन अनुपात 20.9 है, जबकि राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 27.1 है। राष्ट्रीय शिक्षा निति, 2020 के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक (Multi-Disciplinary) के रूप में विकसित किया जाना है तथा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार का ध्येय है कि झारखण्ड का सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के बराबर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाय। गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड. योजना इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी।

2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना का स्वरूप तैयार करने हेतु अन्य राज्यों (बिहार एवं पश्चिम बंगाल) में लागू Student Credit Card योजनाओं का अध्ययन किया गया तथा राज्य के विद्यार्थियों के आवश्यकता के अनुरूप गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना का स्वरूप तैयार किया गया है। गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत है –

(i) झारखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) छात्रों के लिए ऋण की व्यवस्था हेतु गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) झारखण्ड राज्य के छात्रों को अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिये वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होने देना इस योजना का मूल लक्ष्य होगा।

(iii) छात्र ऋण डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी0एच0डी0, पोस्ट डॉक्टोरल, अनुसंधान आदि में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

(iv) ऋण हेतु कोई Income Criteria नहीं होगा।

(v) इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रूपये निर्धारित है। छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% Non-Institutional कार्यो (Living Expenses सहित) हेतु प्राप्त होगा। छात्रों को ब्याज के रूप में Simple Rate of Interest मात्र 4% राशि का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि Interest Subvention के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी अर्थात् राज्य सरकार की भूमिका Guarantor की होगी। ऋण प्रदान करने वाले बैंको के द्वारा प्रतिवर्ष 0.50% of the outstanding amount की Guarantee Fee नोडल विभाग को उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार के द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर दी जायेगी। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का Collateral Security नहीं लिया जाएगा। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष तक की होगी। बैंकों की जिम्मेवारी होगी कि ऋण हेतु आवेदन करने वाले छात्रों के संबंध में वे विधिवत जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

(vi) छात्रों से ऋण की वसूली बैंकों के द्वारा की जायेगी। यदि बैंकों के द्वारा Banking Norms के अनुरूप हर संभव प्रयास के बावजूद ऋण की वसूली नहीं हो पाती है, तो इस योजना के प्रावधानों के अधीन गारंटी कवर की राशि बैंकों को देने के उपरांत बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 (झारखण्ड अधिनियम 23, 2017) के अधीन राज्य सरकार ऋण वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(vii) ऋण की वापसी, जिस पाठ्यक्रम के लिए ऋण लिया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम के समाप्ति के एक वर्ष के बाद से शुरू की जाएगी, अर्थात् 01 वर्ष की अवधि Moratorium की होगी।

(viii) बैंको के द्वारा चार्ज किया जाने वाला ऋण का दर निम्नवत् होगा–

- For Boys, Prevalent EBLR of State Bank of India Plus 1.5% p.a.
- For Girls/Others, rate of interest @ EBLR of State Bank of India Plus 1% p.a

- The rate of interest so fixed on the date of sanction will remain fixed and calculated at simple rate for the entire duration of the loan.

(ix) Margin Money:-
(a) Up to Rs. 4.00 Lakhs:NIL
(b) Above Rs. 4.00 Lakhs: 5%

(x) बैंको के द्वारा छात्रों से ऋण हेतु Processing Fee नहीं लिया जायेगा।

(xi) ऋण को विभिन्न बैंकों के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। बैंकों से इसके लिए नोडल विभाग द्वारा एकरारनामा किया जाएगा।

(xii) जो छात्र पाठ्यक्रम की अवधि (Study Period) में पूरा ब्याज चुका देंगे उन्हें 1% Interest Concession की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जायेगी।

(xiii) शिक्षा ऋण लेने के लिए Online अभ्यावेदन आमंत्रित किये जायेंगे। ये अभ्यावेदन एक Web पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेगे। इस Portal में राज्य के भीतर के संस्थानों एवं राज्य के बाहर के संस्थानों के लिए अलग–अलग Database संधारित किया जायेगा। इससे आवेदनों को वर्गीकृत् किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु Developers की सेवा Hire की जायेगी।

(xiv) राज्य सरकार राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर भारत के वैसे उत्कृष्ट संस्थानों का चयन करेगी, जो विगत NIRF की सूची में Overall 200 क्रम संख्या के अन्दर अथवा संस्थान के संबंधित श्रेणी (जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अभियंत्रण, प्रबंधन, मेडिकल, डेन्टल आदि) में NIRF की सूची में 100 क्रम संख्या के अन्दर हो, अथवा NAAC से "A" श्रेणी या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो।

(xv) योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक PMU का गठन भी किया जायेगा, जिसमें समुचित संख्या में किन्ही प्रतिष्ठित Consultancy कम्पनी के Professionals को Hire कर उनकी सेवा ली जाएगी।

(xvi) योजना के क्रियान्वयन में किसी भी समस्या के निराकरण हेतु State Data Cum Redressal Centre भी अधिष्ठापित किया जायेगा, जो Helpline के रूप में कार्य करेगा।

3. गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2023–24 से किया जायेगा।

4. उपर्युक्त कंडिका 2 में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना का Broad Guidelines निर्धारित किया गया है। योजना क्रियान्वयन के हरेक स्तर के लिए एक समय सीमा तय कर ली जायेगी तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु Student Application Format, विभिन्न Member

Lending Institutions/ Students के साथ एकारारनामा प्रारूप, Standard Operating Procedure, विभिन्न Stakeholders के लिए Check List तथा गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य सभी विस्तृत दिशा–निर्देश, SOP, Format आदि ''उच्च स्तरीय समिति'' द्वारा तैयार किये जायेंगे। कोई भी एकरारनामा हस्ताक्षरित करने के पूर्व एकरारनामा प्रारूप की विधि विभाग से विधिक्षा करा ली जायेगी।

5. गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना की राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उप शीर्ष–BM–गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजनाएँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 200 करोड का Corpus Fund रखा जायेगा। इस Corpus Fund के Modalities /SOP का निर्धारण ''उच्च स्तरीय समिति'' के द्वारा किया जायेगा।

6. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के द्वारा ''उच्च स्तरीय समिति'' का गठन पृथक रूप से किया जायेगा।

7. योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 07.11.2022 में प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति निम्न शर्त्त के साथ योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक–रा0यो0प्रा0–167 / 2022 दिनांक 08.11.2022 के माध्यम से दी गयी है:–

''प्रशासी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि अनु0ज0जा0, अनु0जा0, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित पोस्ट मैट्रिक Scholarship योजना के Scholarship लाभार्थियों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार किया जाय।''

7.1 योजना प्राधिकृत समिति के उपरोक्त शर्त्त के आलोक में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु अनु0ज0जा0, अनु0जा0, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित पोस्ट मैट्रिक Scholarship योजना के Scholarship लाभार्थियों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ''उच्च स्तरीय समिति'' के द्वारा विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार किया जायेगा।

8. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संलेख ज्ञापांक 207/बजट दिनांक 10.11.2022 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में मद संख्या 22 में स्वीकृति प्राप्त है।

9. यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/यो0 1–02/2022 (उ0शि0) 220/बजट रॉंची/दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 500 (पॉच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/यो0 1–02/2022 (उ0शि0) 220/बजट रॉंची/दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/यो0 1–02/2022 (उ0शि0) 220/बजट रॉंची/दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/नोडल पदाधिकारी, पी0एम0यू0 (वित्त प्रभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो0 1–02 / 2022 (उ0शि0) 220/१७५८ राँची / दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त / उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो0 1–02 / 2022 (उ0शि0) 220/१७५८ राँची / दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि – राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति / कुलसचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी / लेखा शाखा (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो0 1–02 / 2022 (उ0शि0) 220/१७५८ राँची / दिनांक– 14/11/2022

प्रतिलिपि – नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की सॉफ्ट कॉपी वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

14.11.22

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।